34

संख्या– 76 /VI-2/2014–51(22)/2013 टी0सी0

प्रेषक,

डॉ0 अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 30 जून, 2014

विषयः– अनुसूचित जनजाति उपयोजना (राज्यसेक्टर) के अधीन प्राविधानित बजट को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–186/दो–2547/2014–15 दिनांक 29 मई, 2014 वं अपर मुख्य सचिव के शासनादेश संख्या 80/अ0मु0स0/पी0 एस0/2014–15 दिनांक 23 अप्रैल, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुसूचित जनजाति उपयोजना (राज्यसेक्टर) के अधीन प्राविधानित बजट **₹35,00 लाख (₹पैतीस लाख)** मात्र में से ₹27.00 लाख (₹सत्ताईस लाख) मात्र की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जा रही है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। पूर्व जारी शासनादेशों एवं अन्य निर्धारित नियमों के दृष्टिगत कहीं

ही किया जाना चाहिए। पूर्व जारी शासनादेशों एवं अन्य निर्धारित नियमों के दृष्टिगत कहीं कोई विसंगति की स्थिति संज्ञान में आती है तो तत्काल प्रकरण पर शासन का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाय।

3– व्यय बजट एवं परिव्यय की सीमान्तर्गत रहते हुए ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि, मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका/उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कराना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

5– उक्त व्यय चालू **वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या 31 के लेखाशीर्षक 2204–खेलकूद तथा युवा सेवाएं–00–796–जनजाति उपयोजना–01–प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण के मानक मद–42–अन्य व्यय** के आयोजनागत पक्ष से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(डॉ0 अजय कुमार प्रद्योत)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 76/VI-2/2014–51(22)/2013 टी0सी0 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार)
संयुक्त सचिव

D:\Budget 2014-15\Yuva Kalyan GO 2014-15.docx